प्यार एवं भाईचारे की भावना के साथ सामान्य जीवन बिताने का संदेश देता है। यह क्षमाशीलता और समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करने का अवसर होता है।

हमारे समाज में भाईचारा और आपसी समझ बढ़े।

रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति

चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए।

जम्मू कश्मीर में 115 कैदी रिहा होंगे : जम्मू-कश्मीर सरकार ने ईद-उल-फितर से एक दिन पहले शुक्रवार को 115 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया।

...का असामान्य ...ाने से इनकार

परेशानी

- भारतीय मूल के एक दंपति की बच्ची को ले जाने से मना किया
- सोशल मीडिया पर अनुभव साझा करने के बाद दंपति को समर्थन

दिया गया। कप्तान एक घंटे तक दंपति से बात करने से मना करता रहा और उनसे कहा कि वे या तो विमान से उतर जाएं या फिर अपनी बच्ची को उसकी ही सीट पर छोड़ दें।

दिव्या के शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपना बुरा अनुभव साझा करने के बाद लोग उनके समर्थन में उतर आए। उन्होंने फेसबुक पेज पर घटना का एक वीडियो भी डाला। सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली स्कूट एयरलाइंस ने कहा कि उसने दंपति से विमान में की गई व्यवस्थाओं को लेकर स्थिति साफ की थी। स्कूट ने कहा कि शिशुओं वाले सीट बेल्ट सुरक्षा नियमों के तहत दो साल तक के बच्चों को ही दिए जाते हैं।

सात हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की एक अदालत ने हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कोरबा जिले के लोक अभियोजक सुनील मिश्रा ने बताया कि उधार की रकम वापस लौटाने के लिए रायगढ़ के हरिदास वैष्णव को कोरबा बुलाकर उसकी हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु जैन की अदालत ने दुलारी कश्यप समेत सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

माओवादियों से संबंध पर प्रोफेसर निलंबित

नागपुर। राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी (आरटीएमएनयू) ने अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर शोमा सेन को शुक्रवार को निलंबित कर दिया।

उन्हें हाल ही में माओवादियों से कथित तौर पर संबंध रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। एक जनवरी को हुई भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रही पुणे पुलिस ने माओवादियों के संपर्क में रहने के लिए पांच को गिरफ्तार किया था।

...की थी गौरी लंकेश की हत्या

एसआईटी की रिपोर्ट

- परशुराम वाघमारे हत्या के संबंध में गिरफ्तार छह संदिग्धों में से एक
- इस संगठन में 60 सदस्य हैं और पांच राज्यों में फैला हुआ है नेटवर्क

गया। एसआईटी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'वाघमारे ने गौरी को गोली मारी और फॉरेंसिक जांच से पुष्टि होती है कि गोविंद पंसारे, एमएम कलबुर्गी और गौरी की हत्या एक ही हथियार से की गई।'

अधिकारी ने बताया कि हिंदू दक्षिणपंथी समूहों के लोगों को शामिल कर बनाए गए इस संगठन में 60 सदस्य हैं, जो कम से कम पांच राज्यों में फैले हुए हैं लेकिन इस संगठन का कोई नाम नहीं है। अधिकारी ने कहा, 'हमें मालूम हुआ है कि इस गिरोह का मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में नेटवर्क है। हम अभी तक उत्तर प्रदेश से उनके ताल्लुक का पता नहीं चला सके हैं।

उन्होंने कहा, भले ही इस गिरोह ने महाराष्ट्र के हिंदू जागृति समिति और सनातन संस्था जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों की भर्ती किया लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये संस्थाएं सीधे तौर पर हत्या में शामिल हों। दोनों ही संगठनों ने तीनों की हत्या में किसी तरह की भूमिका से इनकार किया है। अधिकारी ने बताया कि सुजीत कुमार उर्फ प्रवीण गिरोह के लिए लोगों की भर्ती करता था। उसी से पूछताछ में नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ।

...June 2018) (11.00 AM to 3.00 PM)

for Shirts, Trousers, Suits & Ethnic Wear

Also Extra fine Wool, Silk, Linen & Cotton Blended Fabrics

Readymade: upto 60% off

- SHIRT
- TROUSER
- T-SHIRT
- SHORTS
- SUITS
- BLAZER

PUNCHKUIAN ROAD	Garwal Bhawan, Opp. Metro Pillar 44, (Near Jhandewalan, Gole Chkkar.)
WAZIRPUR	A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
JANAKPURI	B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543, Adj. Umang Palace
NOIDA	Nirula's Sec-2, C-135, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
LAJPAT NAGAR Economy Sales: 23539218	49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand, Crossing, Delhi

मुंजाल शोवा लिमिटेड

सीआईएन: L34101HR1985PLC020934

पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्स: 9–11, मारुति इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर–18, गुरुग्राम–122015 (हरियाणा)

फोन: +91-124-4783000; फैक्स: +91-124-2341359

ई-मेल: cs@munjalshowa.net; वेबसाईट: www.munjalshowa.net

सूचना

विषय: विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अंतर्गत अंशों का हस्तांतरण

यह सूचना मेसर्स मुंजाल शोवा लिमिटेड के सभी अंशधारकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों एवं विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 के साथ पठित प्रासंगिक परिपत्र एवं इसके संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है।

उक्त नियमों के अनुसार, ऐसे लाभांश जिनकी अदायगी अथवा दावा अंशधारकों द्वारा लगातार गत् सात या अधिक वर्ष से नहीं किया गया हो, वे इस नियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरण / क्रेडिट कर दिए जाने चाहिए। इस संबंध में, उन सभी अंशधारकों, जिन्होंने गत् सात वर्षों से लगातार लाभांश का दावा नहीं किया है, उनके अंश अब प्राधिकरण को हस्तांतरण हेतु निश्चित हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, कम्पनी ने 64497 समता अंशों को आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया है जिनके सम्बन्ध में लगातार सात अथवा इससे अधिक वर्षों से लाभांश अदत्त अथवा गैर–दावाकृत थे।

कंपनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके अंश वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आईइपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण हेतु संभाव्य हैं, को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना प्रेषित की है। इसके अतिरिक्त, कथित नियमों के नियम 6 (3) के अनुसार, अंशधारकों की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई हेतु, ऐसे अंशधारकों का विस्तृत विवरण कंपनी की वेबसाइट **www.munjalshowa.net** पर अपलोड किया गया है।

तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने गैर दावाकृत लाभांश का दावा जल्द से जल्द कर लें। यदि कंपनी/आरटीए को अंशधारकों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो इस सूचना के तीन माह की अवधि के पूर्ण होने पर, अंशों को कथित नियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

गैर दावाकृत लाभांश का दावा करने हेतु, कृपया इस संबंध में एक लिखित आवेदन, पैन कार्ड की प्रति के साथ, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात् मुंजाल शोवा लिमिटेड, प्लाट 9–11, मारुति इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर–18, गुड़गांव –122015 (हरियाणा) को भेजें।

यदि संबंधित अंशधारक प्राधिकरण को स्थानांतरित करने पश्चात् अंशों का दावा करना चाहते हैं, तो वेबसाइट **www.iepf.gov.in** पर उपलब्ध फॉर्म आईईपीएफ 5 में एक पृथक आवेदन प्राधिकरण को करना होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि सदस्यों के पता, बैंक विवरण और ईमेल आईडी कोई परिवर्तन हो, तो निम्न को शीघ्र सूचित करें:

i) इलेक्ट्रॉनिक अंश खातों के संबंध में अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को, तथा

ii) भौतिक अंश फोलियो के सम्बन्ध में, फोलियो नंबर का उल्लेख देते हुए, कंपनी के रजिस्ट्रार, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली – 110020

किसी अन्य प्रश्न हेतु, कृपया हमें **cs@munjalshowa.net** पर लिखें अथवा 0124–4783000 पर फोन करें

मुंजाल शोवा लिमिटेड हेतु

हस्ता॰/–

(सौरभ अग्रवाल)

कम्पनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 15.06.2018